

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,

मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, कांशीरामनगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, इलाहाबाद, फैतहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सन्तरविदासनगर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर नगर, कन्नौज तथा जालौन।

संख्या:-1/शा०/29/2013-1/135/2013, लखनऊ :: दिनांक 14 अगस्त, 2013

विषय:-निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान-83 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू०-625.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-477/26-ब०प्र०-2013-100(18)/2012, दिनांक 13-08-2013 के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत राज्यांश मद में प्राविधानित धनराशि रू०-2500.00 लाख के सापेक्ष रू०-625.00 लाख (रूपया छः करोड़ पचीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-बी०-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-03-2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केंद्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- प्रश्नगत धनराशि एस०सी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०सी० लाभार्थियों हेतु एस०सी०एस०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6- उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

7- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

8- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा0 20-रा0)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10- किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होंगे। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11- आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

12- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

13- उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

14- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-16 पर अंकित है।

संलग्न-उक्तवत्।

मकदीय,

(सौरभ बाबू)

निदेशक,

पंचायती राज, उ0प्र0।

Dr

संख्या:-1/शा0/29/1/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा आडिट(प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 5- विशेष सचिव, वित्त ((व्यय-नियंत्रण) अनु0-3/वित्त बजट अनु0-2 उ0प्र0 शासन।
- 6- विशेष सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
- 7- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
- 9- उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज, उ0प्र0।

Dr

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-14/08/2013

प्रेषण संख्या:- 1-sha-29-2013-1-135-2013
आवंटन आदेश संख्या:- 001-135-2013

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
01 - ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	362000 362000	362000 362000
2	मुजफ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	390000 390000	390000 390000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	251000 251000	251000 251000
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	657000 657000	657000 657000
5	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	776000 776000	776000 776000
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	972000 972000	972000 972000
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2448000 2448000	2448000 2448000
8	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	442000 442000	442000 442000
9	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1642000 1642000	1642000 1642000
10	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	982000 982000	982000 982000
11	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	697000 697000	697000 697000
12	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2963000 2963000	2963000 2963000
13	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2023000 2023000	2023000 2023000
14	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1048000 1048000	1048000 1048000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	27-सब्सिडी	योग
15	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1008000 1008000	1008000 1008000
16	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1479000 1479000	1479000 1479000
17	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2026000 2026000	2026000 2026000
18	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2657000 2657000	2657000 2657000
19	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1098000 1098000	1098000 1098000
20	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	23000 23000	23000 23000
21	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	957000 957000	957000 957000
22	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	986000 986000	986000 986000
23	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2167000 2167000	2167000 2167000
24	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	834000 834000	834000 834000
25	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3387000 3387000	3387000 3387000
26	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1776000 1776000	1776000 1776000
27	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3330000 3330000	3330000 3330000
28	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2629000 2629000	2629000 2629000
29	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5411000 5411000	5411000 5411000
30	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	451000 451000	451000 451000
31	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	183000 183000	183000 183000
32	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1663000 1663000	1663000 1663000
33	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	256000 256000	256000 256000
34	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	669000 669000	669000 669000
35	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1439000 1439000	1439000 1439000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
36	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	5952000	5952000
		प्रगामी	5952000	5952000
37	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	1975000	1975000
		प्रगामी	1975000	1975000
38	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	405000	405000
		प्रगामी	405000	405000
39	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	330000	330000
		प्रगामी	330000	330000
40	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	540000	540000
		प्रगामी	540000	540000
41	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	1244000	1244000
		प्रगामी	1244000	1244000
42	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	349000	349000
		प्रगामी	349000	349000
43	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	559000	559000
		प्रगामी	559000	559000
44	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	784000	784000
		प्रगामी	784000	784000
45	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	215000	215000
		प्रगामी	215000	215000
46	कांसीराम नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान	65000	65000
		प्रगामी	65000	65000
	योग	वर्तमान	62500000	62500000
		प्रगामी	62500000	62500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया छः करोड़ पच्चीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया छः करोड़ पच्चीस लाख

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
शहजाद अहमद अंसारी

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ दिनांक : 13 अगस्त 2013

विषय:

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रु० 625.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या-5/1084 /2013-5/53/2013, दिनांक 26 जुलाई, 2013 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/ दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु०-2500.00 लाख में से राज्यांश के मद में धनराशि रु०-625.00 लाख (रुपया छः करोड़ पचीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/ दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस०सी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस०सी० लाभार्थियों हेतु एस०सी०एस०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

3314

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

निदेशक
13/8/13

दीनानाथ
14/8/13

- (6) उक्त धनराशि का व्यय एल0सो0एल0सो0 / टी0एस0पी0 के लिए योजना के भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/ अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-^{आयोजनागत} 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा.20-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।
- (9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007, दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- (11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।
- (12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

2- आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-वी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 6- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/वित्त (बजट) अनु0-2।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दीनानाथ)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-477/26-2020-2013-100(18)/2012 दिनांक 13

अगस्त, 2013 का संलग्नक

पंचायती राज विभाग उ०प्र०


निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जातियों हेतु राज्यांश का प्रस्ताव

अनुदान संख्या-83

क्र० सं०	जनपद का नाम	राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धराशायी (लाख रुपये में)
1	मेरठ	2.51
2	बागपत	3.49
3	गाजियाबाद	1.83
4	गौतमबुद्धनगर	4.05
5	बुलन्दशहर	6.57
6	सहारनपुर	3.62
7	मुजफ्फरनगर	3.90
8	आगरा	24.48
9	अलीगढ़	7.76
10	हाथरस	3.30
11	एटा	0.00
12	मैनपुरी	0.00
13	मथुरा	9.72
14	फिरोजाबाद	2.56
15	कांशीरामनगर	0.65
16	बरेली	4.42
17	बदायूँ	0.00
18	पीलीभीत	6.97
19	शाहजहाँपुर	9.82
20	मुरादाबाद	18.42
21	ज्योतिबाफूलेनगर	0.00
22	रामपुर	29.63
23	बिजनौर	0.00
24	लखनऊ	0.00
25	रायबरेली	17.78
26	हरदोई	0.00
27	उन्नाव	0.00
28	सीतापुर	33.30
29	लखमीपुर खीरी	26.29
30	फैजाबाद	0.00
31	अम्बेडकरनगर	19.75
32	सुल्तानपुर	0.00
33	बाराबंकी	0.00

34	गोण्डा	0.00
35	बलरामपुर	5.40
36	बहराइच	54.11
37	श्रावस्ती	7.84
38	इलाहाबाद	10.08
39	कौशाम्बी	0.00
40	फतेहपुर	10.48
41	प्रतापगढ़	4.51
42	वाराणसी	0.00
43	चन्दौली	0.00
44	गाजीपुर	0.00
45	जौनपुर	0.23
46	मिर्जापुर	10.98
47	सोनभद्र	0.00
48	संतरविदासनगर	14.39
49	हमीरपुर	20.26
50	बांदा	26.57
51	चित्रकूट	2.15
52	महोबा	6.69
53	गोरखपुर	9.86
54	महाराजगंज	0.00
55	देवरिया	33.87
56	कुशीनगर	59.52
57	बस्ती	21.67
58	सन्त कबीरनगर	12.44
59	सिद्धार्थनगर	0.00
60	आजनगढ़	8.34
61	मऊ	16.63
62	बलिया	9.57
63	कानपुर नगर	20.23
64	कानपुर देहात	0.00
65	फर्रुखाबाद	0.00
66	कन्नौज	5.59
67	इटावा	0.00
68	औरैया	0.00
69	झांसी	0.00
70	ललितपुर	0.00
71	जालौन	14.79
	कुल योग:-	625.00

(रुपया द: करोड़ सन्तीस लाख मात्र)


(दीनानाथ)
अनु सचिव।